(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

17.09.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस वाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र संख्या 47/2020 को रेस्टोर करने बाबत सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वाद सं. 47/2020 की तारीख पेशी 27.05.2025 को रखी गई थी। हस्तगत प्रकरण में मुझ प्रार्थी के अधिवक्ता सिविल न्यायालय के अन्य प्रकरण में व्यस्त होने से हाजिर नहीं हो सके। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण बदम पैरवी/बदम हाजरी खारिज गया। हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हु
	प्रकरण को खारीज होने की जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थनापत्र 47/2020 को रेस्टोर करने का माननीय न्यायालय में पेश किया। हस्तगत प्रकरण को स्वीकार फरमाया जाकर मूल पत्रावली को रेस्टोर करने का आदेश फरमावें। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया हुआ था। अधिवक्ता का यह नैतिक दायित्व है कि वे प्रकरण में प्रगति से अपने पक्षकार को अवगत करावें। अधिवक्ता द्वारा निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं होना, केवल इस आधार पर प्रार्थी को न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोर स्वीकार किया जाकर मूल वाद 47/2020 राजूराम बनाम प्रेमाराम को पुनः उसी नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उभय पक्षकारान आगामी पेशी पर मूल वाद 47/2020 की सुनवाई हेतु 06.10.2025 को न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.12.09 11:57:19
Reason: SelfAttested